(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 9 /2015–2020
दिनांकः– 24 जून, 2021

विषयः तूर और उड़द के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता–ज्ञापन (एमओयू) के संबंध में।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता–ज्ञापन के अनुसार, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करते हैं:

(क) भारत 2,50,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर का वार्षिक कोटा प्रदान करेगा जिसका अगले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021–22 से 2025–26 (अप्रैल से मार्च) के दौरान निजी व्यापार के माध्यम से म्यांमार से आयात किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के जनवरी में म्यांमार से भारत के लिए उड़द निर्यात और तूर निर्यात जो उस समय तक किया गया है की कुल मात्रा का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि वार्षिक कोटा में कोई गिरावट होती है, तो भारत गणराज्य की सरकार किसी अन्य देश से आयात हेतु कम हुई मात्रा को जारी करेगी।

2. उपर्युक्त एमओयू के तहत आयात के लिए प्रक्रिया और तौर तरीके पृथक रुप से अधिसूचित किए जाएंगे।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः** 2021–22 से 2025–26 (अप्रैल–से मार्च) के दौरान म्यांमार से 2,50,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर के आयात को भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के बीच सम्पन्न समझौता–ज्ञापन के अनुसार अधिसूचित किया गया है।

अमितयादव
24/06/2021

(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा० सं० एम–5012/300/2002/पी.सी–2(क)/ई–2578 से जारी)